UPMH010004092014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, महराजगंज

पीठासीन अधिकारी (Abid Shamim), **(H.J.S.)** UP06259

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–7/2014
मुकदमा अपराध संख्या–762/2013
धारा–363, 366, 506 भा0दं0सं0 व
धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–सोनौली, जनपद–महराजगंज

उ0प्र0राज्य ....अभियोजन।

बनाम

1. हबीब पुत्र हुसैनी
2. श्रीमती जदरूननिशा पत्नी हबीब निवासीगण आराजी सरकार केवटलिया टोला कैलाश नगर थाना सोनौली जनपद महराजगंज।

...........अभियुक्तगण

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के न्यायालय के दाण्डिक वाद संख्या 397/2014 पुलिस थाना–सोनौली, जनपद महराजगंज के अपराध सं0–762/2013 अन्तर्गत धारा–504, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट राज्य बनाम हबीब आदि में पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित–20.02.2014 से उद्भूत सत्र प्रकरण। उक्त पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् इस न्यायालय में अग्रिम विचारण प्रारम्भ हुआ।

....

अभियोजन द्वारा–श्री फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी विद्वान विशेष लोक अभियोजक, महराजगंज।
अभियुक्त द्वारा–विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय

(आज दिनांक–06.06.2026 को उद्घोषित)

आरोप परिचय–

1– पुलिस थाना सोनौली के अन्तर्गत स्थित डेढ़ किमी पुरब ग्राम आराजी सरकार टोला कैलाश नगर थाना सोनौली जनपद महराजगंज में अभियुक्तगण ने दिनांक 02.10.2013 को समय करीब 01.00 बजे दिन में वादिनी मुकदमा की लड़की/अपहृता जोकि अनुसूचित जाति की सदस्या है, को उसके संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग या विवाह करने के आशय से व्यपहृत

किया और जान से मारने की धमकी दिया जिस कारण अभियुक्तगण का विचारण निम्नानुसार विरचित आरोप दिनांक 05.03.2014 पर किया गया।

अभियोजन कहानी–

2– अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि वादिनी मुकदमा ने थानाध्यक्ष कोतवाली जनपद महराजगंज को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि वादिनी मुकदमा की नाबालिक लड़की/अपृहता को उसके गांव के निवासी अभियुक्तगण हबीब, उसकी पत्नी यदुनिशा तथा हिना व हिना की मां एक साजिश के तहत दिनांक 02.10.2013 को समय करीब 1:00 बजे दिन में बहला फुसला कर कहीं भाग ले गए हैं। उसने अपनी बच्ची की काफी खोजबीन की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगल बगल पूछताछ करने पर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उपरोक्त लोगों के साथ गांव के बाहर सोनौली की तरफ ले जाते हुए देखा गया है। उसे पूरा यकीन हो गया है कि उपरोक्त लोगों ने ही उसकी पुत्री को पूर्व मुकदमे को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपहृत किया है। पूर्व में घटित घटना में सुलह समझौते के लिए दबाव उपरोक्त लोगों द्वारा बनाया जा रहा था तथा यह धमकी दी जा रही थी कि यदि मुकदमे में सुलह समझौता नहीं किया गया तो तुम्हारी पुत्री व तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। चमाईन की जात अपनी औकात में रहो। इस घटना से वादिनी मुकदमा काफी भयभीत है। उसे शक है कि उसकी पुत्री की हत्या न हो जाए। पूर्व में उपरोक्त लोगों द्वारा उसकी पुत्री को अपहृत कर धर्म परिवर्तन कराकर सलमान के साथ जबरदस्ती निकाह भी कराया जा चुका है।

पुलिस कार्यवाही–

3– उक्त प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना सोनौली द्वारा वादिनी मुकदमा की तहरीर (प्रदर्श क–1) के आधार पर अभियुक्तगण हबीब, हबीब की पत्नी यदुनिशा, हिना व हिना की मां के विरूद्ध धारा 363, 366, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध संख्या 762/2013 दिनांकित 03.10.2013 को दर्ज किया गया।

4– घटनास्थल का नक्शा नजरी अन्वेषणकर्ता द्वारा तैयार किया गया। धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा साक्षियों के बयान दर्ज किया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण हबीब व श्रीमती जदरूननिशा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण हबीब व श्रीमती जदरूननिशा पर अन्तर्गत धारा 363, 366, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का आरोप दिनांक 05.03.2014 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

6– **अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

क्रम सं0	व्यक्ति का नाम	साक्षी सं0	कथन दिनांक	अंकित प्रदर्श
1.	वादिनी मुकदमा	पी0डब्लू0 01	09.09.2014	प्रदर्श क–1,
2.	रामकिशुन चौधरी	पी0डब्लू0 02	22.11.2014	
3.	अपहृता	पी0डब्लू0 03	01.07.2015	प्रदर्श क–2
4.	चौथी	पी0डब्लू0 04	18.08.2015	
5.	दिवाकर मिश्र	पी0डब्लू0 05	05.11.2015	
6.	एच0सी0पी0 अभय कुमार सिंह	पी0डब्लू0 06	05.11.2015	प्रदर्श क–3
7.	डा0 कविता अग्रवाल	पी0डब्लू0 07	16.02.2016	प्रदर्श क–4
8.	एस0आई0 सचिदानन्द पाण्डेय	पी0डब्लू0 08	12.12.2018	प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6
9.	पुलिस उपाधीक्षक सूक्ष्म प्रकाश	पी0डब्लू0 09	26.11.2022	प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9,
10.	डा0 सुनील कुमार पासवान	पी0डब्लू0 10	06.02.2023	प्रदर्श क–10

दस्तावेजी साक्ष्य

7– अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

क.सं.	**दस्तावेज**	**दिनांक**	**अंकित प्रदर्श**
1	तहरीर	09.09.2014	प्रदर्श क–1
2	बयान धारा 164 दं0प्र0सं0	01.07.2015	प्रदर्श क–2
3	जी0डी0 कायमी	05.11.2015	प्रदर्श क–3
4	अपहृता का चिकित्सकीय प्रपत्र	16.02.2016	प्रदर्श क–4
5	चिक एफ0आई0आर0	12.12.2018	प्रदर्श क–5
6	नकल रपट समय 14–5 दिनांकित 20.11.2013	12.12.2018	प्रदर्श क–6
7	आरोपपत्र	26.11.2022	प्रदर्श क–7
8	नक्शा नजरी बरामदगी	26.11.2022	प्रदर्श क–8

9	नक्शा नजरी घटनास्थल	26.11.2022	प्रदर्श क–9
10	मेडिकोलीगल रिपोर्ट	06.02.2023	प्रदर्श क–10

8– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उन्होने अभियोजन कथानक को गलत बताया है और उन्हे झूठा फंसाया गया है। साक्षी पी0डब्लू0–1 ने झूठी गवाही दी है। साक्षी पी0डब्लू0–2 ने रंजिशन गवाही दी है। साक्षी पी0डब्लू0–5 व पी0डब्लू0–6 ने रंजिशन गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा बयान दिया है। साक्षी पी0डब्लू0–7 ने झूठी रिपोर्ट तैयार किया और गलत बयान दिया है। साक्षी पी0डब्लू0–8 व पी0डब्लू0 9 ने झूठास बयान दिया है और झूठा साक्ष्य संकलन किया है। साक्षी पी0डब्लू0–10 ने वादिनी मुकदमा एवं कुछ राजनीतिक लोगो के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार कर झूठा बयान दिया है। उनके विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चला। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वे निर्दोष है। गांव की पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण उनके दुश्मनों द्वारा वादिनी मुकदमा अपने प्रभाव में लेकर झूठा एवं मनगढंत उनके विरूद्ध लिखवाया है। उनके द्वारा बचाव साक्ष्य के रूप में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9– मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

10– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की/अपहृता जोकि अनुसूचति जाति/जनजाति की सदस्या है, को बहला फुसलाकर उसके संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग या विवाह करने के आशय से व्यपहृत किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर ही उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य व न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान ने मामले को संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

11– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण को झूठा फॅसाया गया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। अभियुक्तगण ने अपहृता जोकि अनुसूचति जाति/जनजाति की सदस्या है, को बहला

फुसलाकर भगाया नहीं था और न ही जान से मारने की धमकी दिया था। उन्हे रंजिशन फंसाया गया है। अपहृता ने अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अन्य अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गांव की पार्टीबन्दी के कारण यह मामला झूठा व फर्जी रूप से वादिनी मुकदमा द्वारा दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पत्रावली पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

12– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक अवलोकन व परिशीलन मेरे द्वारा किया गया। मामले के विधि पूर्ण निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर अवधारण आवश्यक है।

(1) क्या अभियुक्तगण हबीब व श्रीमती जदरूननिशा ने अपहृता पी0डब्लू0–03 जोकि अनुसूचति जाति/जनजाति की सदस्या है, को उसके संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग या विवाह करने के आशय से व्यपहृत किया तथा उसे जान से मारने की धमकी दिया?

13– निस्तारण विचारणीय बिन्दु सं0–01–

प्रस्तुत बिन्दु के निस्तारण में स्वयं अपहृता साक्षी पी0डब्लू0–03 का सशपथ बयान महत्वपूर्ण है। साक्षी अपहृता पी0डब्लू0–03 ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि **दिनांक 10.02.2013 को समय 01:00 बजे दिन में हिना तथा हिना की मां व हबीब तथा हबीब की पत्नी यदुरूनिशा उसे नहीं मिले थे और न ही उक्त लोग उसे बोलोरो गाड़ी में पकड़ कर जबरन ले गए थे। उसका मुंह कोई बंद नहीं किया था और न ही उसे सोनौली के रास्ते महराजगंज लाए थे और न ही उपरोक्त मुल्जिमान उसका अपहरण किए थे। मुल्जिमान उसे कोई लालच प्रलोभन नहीं दिए थे और न ही उसको धमकी देकर यह कहे थे कि तुम न्यायालय में चलकर हम लोगों के पक्ष में बयान दे दो जिससे मुकदमे से हम लोग बच जाएंगे।** हबीब, जदुरूनिशा न्यायालय में उसका कोई बयान नहीं कराए थे। अभियुक्तगण डरा धमका कर उसका कोई बयान नहीं करवाए थे और न ही उन लोगों ने डरा धमका कर उसका नाम रुखसार का कहलवाया था। मुलजिमान उसे डरा धमकाकर नहीं ले जा रहे थे बल्कि वह घर से आ रही थी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाले उसकी डॉक्टरी वगैरह करवाए थे। डॉक्टरी कराने के पश्चात उसका न्यायालय में बयान करवाए थे। साक्षी को उसका बयान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता का दिखाया गया व पढ़कर

सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान उसने दिया था। बयान पर उसका हस्ताक्षर है। बयान पर बने अपने हस्ताक्षर की उसने शिनाख्त की है जिसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित की है। साक्षी को उसका बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि थाने पर दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। **साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षा किया गया तो उसने कथन किया कि** वह पढ़ी–लिखी नहीं है। वह अनुसूचित जाति की है। अभियुक्तगण मुस्लिम जाति के है। **घटना के समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी। उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था।** गवाह ने बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता इनकार किया है। जब उसने सलमान से शादी की थी तो उसका नाम रुखसार हो गया। उसे याद नहीं है कि सलमान से शादी हुए कितने दिन हुए। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा किया गया तो उसने कथन किया कि** सलमान के साथ कथित घटना के पूर्व उसकी शादी वरवां कला थाना नौतनवा जिला महाराजगंज के इंद्रेश के साथ हुई थी। इंद्रेश के साथ वह गवना होने के बाद 2 महीने तक थी। जब उसकी शादी इंद्रेश के साथ हुई थी तब वह बालिक थी। सलमान के विरुद्ध लिखाए गए मुकदमे में न्यायालय से रिलीज होने के बाद वह अपने घर गई थी तो उसकी मां उसको लेकर सुभाष के घर रहने लगी थी। जहां पर सुभाष और रामकिशोर चौधरी थे। वे लोग उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ गलत संबंध बनाए थे। उसमें उसकी मां की मर्जी थी इसलिए वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी मां व सुभाष व रामकिशन के चुंगुल से निकल आई और सीजीएम महाराजगंज के यहां एक मुकदमा भी दाखिल किया। यह मुकदमा जिसमें वह आज बयान दे रही है तथा इसके पूर्व सलमान के खिलाफ जो मुकदमा उसकी मां ने लिखवाया है वह मुकदमा भी रामकिशुन चौधरी व सुभाष व मोहन के साजिश व प्रभाव में आकर झूठा मुकदमा लिखवाया था। **उसे अपनी मां के साथ जाने में उसकी इज्जत, आबरू व जान का खतरा था इसलिए उसने कोर्ट में अपने मां के साथ जाने से इनकार किया था।** जिस पर कोर्ट ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था। उसे अपनी मां से कोई खतरा नहीं है लेकिन वह अपनी मां के पास नहीं जाएगी क्योंकि उसे उनसे खतरा है। वह प्राथमिक स्कूल धरहरा में कभी नहीं पढ़ी है। घर पर ही किसी तरह से अपना दस्तख्त बना लेती है।

14– साक्षी पी0डब्लू0–3 अपहृता के साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है कि अपहृता को किसी ने बहला फुसलाकर भगाया नहीं था बल्कि वह घर से आ रही थी तो

पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अपहृता की उम्र घटना के समय 20 वर्ष थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि सलमान के विरुद्ध लिखाए गए मुकदमे में न्यायालय से रिलीज होने के बाद अपहृता अपने घर गई थी तो उसकी मां उसको लेकर सुभाष के घर रहने लगी थी। जहां पर सुभाष और रामकिशोर चौधरी थे। वे लोग उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ गलत संबंध बनाए थे। उसमें उसकी मां की मर्जी थी इसलिए वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी मां व सुभाष व रामकिशन के चुंगुल से निकल आई और सीजीएम महाराजगंज के यहां एक मुकदमा भी दाखिल किया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अपहृता की मर्जी के खिलाफ व उसकी मां की मिलीभगत से सुभाष व रामकिशोर चौधरी उसके साथ गलत सम्बन्ध बनाते थे जिससे वह परेशान होकर उक्त लोगो के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दाखिल की है। उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा अपहृता जोकि अनुसूचति जाति/जनजाति की सदस्या है, को न तो बहला फुसलाकर अयुक्त सम्भोग या विवाह करने के आशय से व्यपहृत किया और न तो उसे जान से मारने की धमकी दिया था।

15– यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपहृता ने अपने बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 में **अभियुक्त सलमान से शादी करना स्वीकार की है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह बालिग है।** उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पिछली बार जब न्यायालय में बयान दिया था वह बयान गलत था क्योंकि उसे अपनी मां व सुभाष चौधरी से डर था। उसकी मां/वादिनी मुकदमा खुद पैसा लेकर उससे धंधा करवा रही थी। उसे सुभाष के घर रखती थी वहां से किसी तरह वह नेपाल पहुंची। **उसके साथ अभियुक्तगण ने कुछ नहीं किया है।** उसे सिर्फ सलमान से मतलब है। वह उसी के साथ में जाना चाहती है। इस प्रकार अपहृता के उपरोक्त बयानो की सम्पूष्टि उसके द्वारा न्यायालय में दिए गए बयानो से होती है।

16– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–01 वादिनी मुकदमा** जोकि अपहृता की मां है, ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि अपहृता उसकी लड़की है। उसके साथ घटना घटित हुए लगभग 12 महीना हो गया। वह मछली मार कर चूल्हे पर मछली बनाने लगी। करीब दिन में 01:00 बजे उसकी लड़की/अपहृता शैंपू लेने के लिए उससे कह कर दुकान पर जा रही थी तभी फरेंदी की तरफ से हिना और हिना की माता और हबीब की पत्नी जदुरूनिशा और हबीब बोलोरो गाड़ी से आकर अपहृता के मुंह पर गमछा रखकर खींचकर गाड़ी में बैठा लिए। आधा घंटा बाद जब उसकी

लड़की नहीं आई तो वह नल पर देखने आई। वहां पर अपहृता नहीं मिली। वह पूछी तो रामकिशन चौधरी उसके गांव के मिले तथा गांव के अन्य लोगों ने बताया कि उपरोक्त चारों मुल्जिमान अपहृता को खींचकर गाड़ी में लेकर चले गए। उसके बाद अपहृता को वह तलाशी और सोची की इज्जत का मामला है हो सकता है कि अपहृता मिल जाए लेकिन नहीं मिली। दूसरे दिन ढाई तीन बजे दिन में गांव के दो–चार आदमी बैठे थे तो उसने उन लोगो से कहा कि ऐसी–ऐसी घटना हो गई है उसी में उसके बताने पर घटना के बाद दरखास्त वे लोग लिख कर व पढ़कर सुनाएं और उसने अंगूठा निशान लगाया और ले जाकर थाने पर मुकदमा कायम कर दिया। उसने तहरीर कागज सं0–4क/2 पर बने अपने हस्ताक्षर व अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जिसे प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। उसके बाद सीओ साहब जाकर पूछताछ किये थे और बयान लिए थी। सी0ओ0 साहब को उसने घटनास्थल दिखाया था। वह नक्शा नजरी बनाए थे। घटना के समय उसकी लड़की अपहृता की उम्र 16 वर्ष थी। अपहृता घटना के पहले कक्षा 5 तक फरेंदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद उसकी लड़की/अपहृता नहीं मिली। आज से लगभग 15 महीना पहले तथा उक्त घटना के लगभग चार महीना पहले कुछ हुआ नहीं था। जब घटना घटी थी तब मुल्जिमान अपहृता को लेकर भागे थे और लोगों का नाम हबीब, जदरूनिशा, सलमान, सुमार लोध अपहृता को लेकर भागे थे। उस मामले का भी मुकदमा उसने थाना सनौली में दरखास्त देकर कायम कराया था। उसी मुकदमे में सुलह की बात चल रही थी इसी में हबीब दबाव दे रहे थे और कहे कि चमाइन की जाती औकात में रहो। उसने कहा की सुलह नहीं करूंगी। जब इज्जत चली गई तो किस बात की सुलह है और वे लोग यह भी कहे कि मुल्जिमान के साथ अपहृता की शादी करवा कर छोड़ेंगे। इस घटना से पहले जब उसकी लड़की/अपहृता को चारों मुल्जिमान लेकर भागे थे तब उसकी लड़की/अपहृता 18 दिन बाद सोनौली की पुलिस ने बरामद किया था। कहां से बरामद किया था सोनौली पुलिस ही बता सकती है। पुलिस जब पहली बार अपहृता को बरामद कर ली थी तब वह थाने पर गई थी। उसकी लड़की उससे मिली थी बताई थी कि उसे हबीब उसके उसके साथ बलात्कार किया और सलमान भी बलात्कार किया था। साथ में सुमार और जदुरूनिश थे। उसके बाद उसका बयान न्यायालय में हुआ था और डाक्टरी भी हुई थी। उसके बाद अपहृता उसकी सुपुर्दगी में दे दी गई। वह अपहृता को लेकर घर आई। पहली बार हुए घटना में सुलह करने के लिए अभियुक्त हबीब दबाव बनाने लगे। उसने सुलह

नहीं किया और इसी बात को लेकर यह घटना हुई। उसकी लड़की दूसरी घटना में नहीं मिली। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया तो उसने कथन किया कि** उसकी लड़की अपहृता की शादी उसने वरवां कला में की थी। वहां से लड़के व उसकी लड़की में छुट्टी छुट्टा हो गया था। वह अपनी लड़की की दूसरी शादी 5 महीने में करन वाली थी लेकिन उसके पहले ही घटना हो गई। अपहृता को दूसरी शादी जानकारी हो गई थी। **उसकी इच्छा के विरूद्ध दूसरी शादी कर रहे थे।** उसके साथ सुभाष व रामकिशन आए है। वेलास भी आए है। वह नहीं जानती है कि रामकिशुन व सुभाष के विरूद्ध कहीं मुकदमा दाखिल है या नहीं। इस मुकदम में उसकी लड़की का बयान नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी लड़की का बयान नहीं हुआ था केवल उसका बयान हुआ था। वह प्राईवेट वकील रखी है। जब दखास्त लिखने वालो ने लिख लिया तो उसे लिखने के बाद पढ़कर सुनाया था जो उसने बोला था वह लिखा। **उसने सुनी हुई बात के आधार पर लिखवाया था।** अपहृता आज भी नारी निकेतन में है। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है कि उसने सुनी सुनाई बातो के आधार पर बयान दिया है। यह भी तथ्य स्पष्ट है कि साक्षी जोकि अपहृता माता है। अपहृता की पहली शादी टूट गयी थी। अपहृता की दूसरी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रही थी जिसकी जानकारी अपहृता को हो गयी थी। अपहृता ने अपने बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 में अपनी माता/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 के विरूद्ध कथन किया है। इस साक्षी द्वारा तहरीर भी सुनी हुई बातो के आधार पर लिखवाया गया था। उपरोक्त परिस्थितियो में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

17– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–02 रामकिशुन चौधरी** ने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह आज से 13 महीना पहले फरेन्दी तिवारी गांव से अपने गांव आ रहा था। जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो देखा 02.10.2013 को सिल्वर कलर की एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद हबीब, जदुरूनिशा मुंह बांध कर गाड़ी में बैठा रहे थे। हिना और उसकी मां बगल में खड़ी थी। उसके बाद अपहृता को गाड़ी में खींचकर हबीब अपहृता को बैठा लिए। उसके बाद जब तक वह कुछ सोचता समझता तब तक चारों लोग गाड़ी लेकर अपहृता का अपहरण करके सोनौली की तरफ निकल लिए। यह घटना दिन में 01:00 बजे घटी थी। उसके बाद वह गांव में आकर अपहृता की मां को बता दिया कि चारों लोग मिलकर अपहृता का अपहरण कर लिए हैं। इस घटना के 15 महीना पहले फिर कहा कि 3 महीना पहले भी अभियुक्तगण अपहृता को लेकर भागे थे। इस मामले की अपहृता को ही लेकर भागे

थे। उसी मुकदमे की सुलह करने का दबाव बनाने के लिए अपहृता को भगाया था। जब अपहृता को दुबारा भगाया गया था तब अभियुक्तगण अपहृता की मां को गाली देते थे कि चमार की जात औकात में रहो। उसके 20 दिन लगभग के बाद सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया था। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा किया गया तो उसने कथन किया कि** वह अपहृता को जानता है। इस समय वह नारी निकेतन में है। उसे नहीं मालूम कि अपहृता ने उसे और सुभाष मद्धेशिया व अपनी मां व पत्नी शकुंतला के खिलाफ मुकदमा लिखाया है कि नही। वह फरेंदी गांव पैदल गया था पैसा लेने गया था। पैसा मिल गया था। वादिनी मुकदमा से उसकी मुलाकात बाद में जब वह पैसा लेकर आ गया तब हुई थी। बोलेरो गाड़ी गांव में पंचायत भवन पर वादिनी मुकदमा के घर से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। पंचायत भवन के आस पास लोगो के मकान है। पंचायत भवन के पास सदानन्द, दूधनाथ चौधरी पूर्णवासी का मकान है। जो उसने बोला था वह सी0ओ0 साहब लिखा था। अभियुक्त हबीब और उसकी बीबी/अपहृता का मुंह बांध कर गाड़ी में बैठा रहे थे। उसने सुना था कि अपहृता का बयान न्यायालय में हुआ था। चिल्लाने का मौका नहीं मिला जब तक वह समझा तब तक ले गए।

18– साक्षी पी0डब्लू0–2 को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा अपहृता को बोलेरो में बैठाकर भगाने का कथन किया है कि जबकि प्रस्तुत मामले की अपहृता साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने सशपथ बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसका मुंह कोई बंद नहीं किया था और न ही उसे सोनौली के रास्ते महराजगंज लाए थे और न ही अभियुक्तगण उसका अपहरण किए थे। यहां पर यह विचारणीय है कि जब मामले की भुगतभोगी अपहृता ही कथित घटना से इनकार किया है तब इस साक्षी के साक्ष्य का महत्व न्यून हो जाता हैं। साक्षी पी0डब्लू0–3 अपहृता ने अपने सशपथ बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मुल्जिमान उसे डरा धमकाकर नहीं ले जा रहे थे बल्कि वह घर से आ रही थी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य विश्वनीय नहीं है।

19– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 चौथी** ने सशपथ बयान में कथन किया घटना हुई 21 महीना हुआ। उसकी नथनी/अपहृता को अभियुक्तगण एक बजे भगाकर ले गए। **अभियुक्तगण अपहृता को लेकर जा रहे थे तो गांव के बगल में एक मोड़ है वहीं पर उसको देखकर अपहृता चिल्लाई की बाबा हमको बचा लो,**

अभियुक्तगण अपहृता को गाड़ी से लेकर भाग गए। घर आकर उसने वादिनी मुकदमा को बताया। उसकी मुलाकात रामकिशुन चौधरी से उनके घर पर हुई थी। रामकिशुन चौधरी ने उससे कहा कि आपकी नतनी/अपहृता को अभियुक्तगण गाड़ी में बैठा कर ले गए। उसकी नथनी के अपहरण के संबंध में एक मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। उसी में सुलह करने के लिए मुल्जिमान दोबारा भाग ले गए। **साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा किया गया तो उसने कथन किया कि** उसने सरकार बनाम सलमान में जीरह के दौरान जो बयान दिया था वह सही–सही दिया था। उसे याद नहीं कि घटना के कितने दिन बाद दरोगा जी से उसकी मुलाकात हुई थी। जब से उसकी नतिनी गायब हुई थी उसके बाद उसका बयान होने तक इस बीच वह कभी थाने पर नहीं गया था। **इस घटना की जानकारी उसे पहली बार रामकिशुन के बताने पर हुई थी।** इस साक्षी को चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण अपहृता को लेकर जा रहे थे तो गांव के बगल में एक मोड़ है वहीं पर उसको देखकर अपहृता चिल्लाई की बाबा हमको बचा लो, अभियुक्तगण अपहृता को गाड़ी से लेकर भाग गए जबकि उसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस घटना की जानकारी उसे पहली बार रामकिशुन के बताने पर हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अपहृता को अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो में बैठाकर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में प्रथम बार की जानकारी के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न कथन किया गया है जिससे इस साक्षी का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है।

20– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–8 सच्चिदानन्द ने सशपथ बयान में कथन किया है कि उसने दिनांक 03.10.2013 को कां0मु0 थाना सोनौली में तैनात था। उसने उक्त दिनांक को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर चिक एफ0आई0आर0 अंकित किया था जिसे प्रदर्श क–5 एवं जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 सूक्ष्म प्रकाश पुलिस उपाधिक्षक ने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 03.10.2013 को बतौर क्षेत्राधिकारी नौतनवा में तैनात था। उसके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सकंलन के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया था जिसे प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। उसने वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया था। उसने अपहृता की बरामगदी स्थल की नक्शा नजरी व घटनास्थल नक्शा नजरी को क्रमशः प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है।

21– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–07 डा0 कविता अग्रवाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 12.11.2013 को उसने पीड़िता पी0डब्लू0–03 का डाक्टरी परीक्षण किया था। आयु निर्धारण के लिए उसने रेडियोलॉजी के एक्स–रे के लिए भेजा था। साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में साबित किया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–10 डा0 सुनील कुमर पासवान, रेडियोलॉजिस्ट ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0–6क/1 पीड़िता का रेडियोलॉजी रिपोर्ट को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अगर किसी महिला का केहुनी और घुटना के हड्डियो का इपीफाइसिस फ्यूज पाया जाता है तो उसकी उम्र सोलह वर्ष से ऊपर होगी। पत्रावली में संलग्न कागज सं0–9ख/19 मेडिको लीगल रिपोर्ट की छायाप्रति है जिस पर अपहृता की उम्र 16 वर्ष अंकित है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी0डब्लू0–5 दीवाकर मिश्र प्रभारी प्रधानाध्याप ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2013 को थाने के सिपाही उसके विद्यालय पर आए थे और उन्होंने विवेचक सी0ओ0 नौतनवा द्वारा जारी एक पत्र भी लाए थे जिसके अनुपालन में उसने अपहृता का प्रवेश पंजिका की मूल रजिस्टर से उसके प्रवेश के संबंध में फोटो कॉपी कराकर प्रमाणित करके दिया था जोकि पत्रावली में कागज सं0–9ख/47 के रूप में संलग्न है। उक्त प्रपत्र पर लगे मोहर व हस्ताक्षर की उसने शिनाख्त किया है। उक्त प्रपत्र में अपहृता की जन्मतिथि 10.06.1997 अंकित है तथा घटना दिनांक 02.10.2013 की है अर्थात घटना के समय अपहृता की उम्र 16 वर्ष 03 माह 22 दिन थी अर्थात अपहृता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपहृता पी0डब्लू0–3 ने अपने सशपथ बयान में घटना के समय अपनी उम्र 20 वर्ष बतायी है। उपरोक्त परिस्थितियो में यदि यह मान भी लिया जाए कि अपहृता पी0डब्लू0–03 घटना के समय 18 वर्ष से कम थी परन्तु उसके द्वारा अभियुक्तगण पर किसी भी प्रकार से उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप नहीं लगाया है बल्कि उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अपहृता को किसी ने बहला फुसलाकर भगाया नहीं था बल्कि वह घर से आ रही थी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुल्जिमान उसे कोई लालच प्रलोभन नहीं दिए थे। अपहृता के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह घर आ रही थी तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। धारा–361 द0प्र0सं0 में वर्णित शब्द **सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है** शब्दों की पूर्ति उपरोक्त बयान से नहीं होती है।

22– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस0 वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1965 ए0आई0आर0 942** में घोषित विधि व्यवस्था के अनुसार धारा–363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा अपहृता को उसके संरक्षक की संरक्षकता से हटाने के लिए कुछ प्रलोभन दिया गया हो या उसको संरक्षकता छोड़ने के लिए उसके आशय निर्माण में सक्रिय योगदान दिया गया हो।

23– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियुक्त द्वारा अपहृता को उसके संरक्षक की संरक्षकता छोड़ने में या उसका आशय निर्माण करने में किसी प्रकार का न तो कोई योगदान दिया गया और न ही कोई प्रलोभन दिया गया है। इस बात की पुष्टि स्वयं अपहृता/पीड़िता पी0डब्लू0–3 द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में भी किया गया है।

24– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि यदि कोई अवयस्क नारी अपनी सूझबूझ से स्वयं ही अपने संरक्षक से अलग होकर अभियुक्त के पास चली जाती है और अभियुक्त का उसके इस कृत्य में किसी प्रकार का सक्रिय सहयोग या प्रलोभन सिद्ध नहीं होता है तो धारा–363 भा0दं0सं0 अपराध गठित नहीं होता है।

25– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा परीक्षित गवाहान व पी0डब्लू0–03 अपहृता के द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–363, 366, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तत्वों की पूर्ति नहीं होती है।

26– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक परिशीलन व विचारणीय बिन्दु सं0–1 के अवधारण से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण हबीब व श्रीमती जदरूननिशा के विरूद्ध अपहृता जोकि अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्या है, को अनैतिक कार्य हेतु बहला फुसलाकर व्यपहृत करने एवं जान से मारने की धमकी देने का तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

27– अभियुक्तगण हबीब व श्रीमती जदरूननिशा को सत्र परीक्षण सं0 07/2014 मुकदमा अपराध सं0 762/2013 थाना सोनौली जनपद महराजगंज के प्रकरण में

अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बन्ध पत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

29– धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन हेतु इस निर्णय एवं आदेश के एक सप्ताह के भीतर अभियुक्त प्रत्येक द्वारा पच्चीस हजार रूपये का बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल की जावें जो निर्धारित अवधि तक प्रभावित रहेगा।

30– पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 06.06.2026

(आबिद शमीम)
जे0ओ0 कोड यू0पी06259
विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय
(एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट)
महराजगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 06.06.2026

(आबिद शमीम)
जे0ओ0 कोड यू0पी06259
विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय
(एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट)
महराजगंज।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2026.06.11 15:25:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court